RCMS 2019 000089

FORM NO. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लालसोट

..................**तहसीलदार नांगल राजावतान**......................बनाम...................सरकार.............

किस्म मुकदमा.....**प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 एलआर एक्ट**......न0.....20.......सन्..........2019

ग्राम ठीकरिया मे दर्ज अपवादित खसरा नंबर की दुरूस्ती के सम्बन्ध मे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2019	तहसीलदार नांगल राजावतान स्वयं उपस्थित। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रकरण के सम्बन्ध मे सुना गया एवं प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि DILRMP प्रोग्राम के अन्तर्गत वन टू वन मैपिंग मे जमाबन्दी मे दर्ज प्रत्येक खसरा नंबर का राजस्व नक्शे सें मिलान होना आवश्यक है। दोनो के वन टू वन मिलान के अन्तर्गत भू–अभिलेख निरीक्षक बडागांव व पटवारी ठीकरिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ठीकरिया के अन्तर्गत खसरा नंबर 180/1616 का मिलान नहीं हो रहा है। ग्राम ठीकरिया की जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत 2041–60 की मोमिया शीट व वर्तमान नक्शे मे खसरा नंबर 180/1616 दर्ज है, जबकि भू–प्रबन्ध मिशल व वर्तमान जमाबन्दी मे खसरा नंबर 180/1616 दर्ज नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी व सैटलमेन्ट मिशल मे खसरा नंबर 180/1616 के स्थान पर 188/1616 दर्ज है। खसरा नंबर 180/1616 व 188/1616 का राजस्व रिकार्ड व मौके से मिलान परने पर दोनो के एक ही खातेदार है। वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज खसरा नंबर 188/1616 के स्थान पर 180/1616 शुद्व किया जाना है, ताकि DILRMP प्रोग्राम के अन्तर्गत आ रही त्रुटि को दुरूस्त किया जा सके। उक्त शुद्वि किये जाने सें किसी खातेदार का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है। खसरा नंबर 180/1616 पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। सैग्रीगेशन कार्य को देखते हुए शुद्वि किये जाने	204 12/4/19

उप खण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)

का निवेदन किया गया है।

अतः तहसीलदार नांगल राजावतान की बहस व प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के अनुसार तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम ठीकरिया तहसील नांगल राजावतान की जमाबन्दी मे दर्ज खसरा नंबर 188/1616 के स्थान पर शुद्व किया जाकर खसरा नंबर 180/1616 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नांगल राजावतान को आदेश की प्रति पालना हेतु भिजवावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो एवं बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

उप खण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)